

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या/19/2024 वाद

दायर दिनांक 05.02.2024

उनवान

- | | |
|---|--|
| 1. शोकिन पिता भिटू जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। | 1. गेहरुलाल पिता हीरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। |
| 2. शांता पिता भिटू जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। | 2. घीसीबाई पुत्री हीरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। |
| | 3. चम्पालाल पुत्र पिता हीरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। |
| | 4. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट
एकतरफा

-वादी
-प्रतिवादी सं० 1 से 3



-: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 27.04.2026

-:निर्णय:-

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की आराजीयात मौजा केसरखेड़ी पटवार हल्का केसरखेड़ी तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 337 के हाल आराजी नम्बर 345, 365, 368, 369, 427, 432, 801, 911 कुल किता 08 कुल रकबा 2.07 हैक्ट0 दर्ज राजस्व रेकार्ड है व मौजा केसरखेड़ी पटवार हल्का केसरखेड़ी तहसील कपासन के हल्के बैरुनी के खाता संख्या 72 के हाल आराजी नम्बर 1348/318, 319 कुल किता 02 कुल रकबा 1.53 हैक्ट0 जिसमें मुझ वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहा है। अतः प्रार्थना है कि-

- पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा आराजीयात की डिक्री मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार फरमाई जावें तदनुसार लगान जमाबन्दी अलग कायम करा अलग खातेदार काश्तकार बनाया जावें।

- अन्य कोई दाद मुफिद जो न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाई जावें व हर्जा खर्चा वकील मेहनताना प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध पूर्व में दिनांक 07.11.2024 को हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्यवादी में वादी शौकिन पिता भिटू जाति जाट निवासी केसरखेड़ी का शपथ पत्र प्रस्तुत। शपथग्रहिता वादी ने वादपत्र के समर्थन एवं पुष्टि में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की जो प्रदर्श-1 है।


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

उक्त वाद पत्र में दिनांक 27.03.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 17.04.2026 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। वहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 27.04.2026 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा केसरखेड़ी पटवार हल्का केसरखेड़ी तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 337 के हाल आराजी नम्बर 345, 365, 368, 369, 427, 432, 801, 911 कुल किता 08 कुल रकबा 2.07 हैक्ट0 दर्ज राजस्व रेकार्ड है। मौजा केसरखेड़ी पटवार हल्का केसरखेड़ी तहसील कपासन के हल्के बैरुनी के खाता संख्या 72 के हाल आराजी नम्बर 1348/318, 319 कुल किता 02 कुल रकबा 1.53 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 17.04.2026 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

1. शोकिन पुत्र मिठु 1/2 शान्ताबाई पत्नि मिठु 1/2 जाट सा देह खातेदार रहन युनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कपासन

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1348/318/1	0.0650	बारानी 2
2	319/1	0.7000	बारानी 2
3	345/1	0.1850	बारानी 1
4	365/1	0.0450	बी.1
5	368/1	0.1050	बारानी 2
6	369/1	0.1350	बारानी 2
		0.0500	बी.1
7	427/1	0.2400	चाही 3
8	432/1	0.1300	चाही 4
9	801/1	0.1250	चाही 1
10	911/1	0.0200	चाही 2
योग	कुल किता-10	1.80	

2. गेहरूलाल पिता हीरा 1/3 चम्पालाल पुत्र हीरा 1/3 घीसीबाई पुत्री हीरा 1/3 जाट सा. देह खातेदार बड़ौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1348/318/2	0.0650	बारानी 2
2	319/2	0.7000	बारानी 2
3	345/2	0.1850	बारानी 1
4	365/2	0.0450	बी.1
5	368/2	0.1050	बारानी 2
6	369/2	0.1350	बारानी 2
		0.0500	बी.1
7	427/2	0.2400	चाही 3
8	432/2	0.1300	चाही 4
9	801/2	0.1250	चाही 1

10	911/2	0.0200	चाही 2
योग	कुल किता-10	1.80	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुयलका)
 सहायक क्लर्क एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 कपासन जिला न्यायालय

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन

पीठासीन अधिकारी :- राजेश सुवालका (R.A.S.)

उनवान
बनाम

- | | |
|---|--|
| <p>1. शोकिन पिता मितू जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।</p> <p>2. शांता पिता मितू जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।</p> | <p>1. गेहरूलाल पिता हीरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।</p> <p>2. घीसीबाई पुत्री हीरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।</p> <p>3. चम्पालाल पुत्र पिता हीरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।</p> <p>4. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।</p> |
|---|--|

दावा बाबत 53 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 19/2024

निर्णय दिनांक :- 27.04.2026



वादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट व प्रतिवादीगण की ओर से एकतरफा में आज तारिख 27.04.2026 को राजेश सुवालका (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, कपासन के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि- मौजा केसरखेड़ी पटवार हल्का केसरखेड़ी तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 337 के हाल आराजी नम्बर 345, 365, 368, 369, 427, 432, 801, 911 कुल किता 08 कुल रकबा 2.07 हैक्ट0 दर्ज राजस्व रेकार्ड है। मौजा केसरखेड़ी पटवार हल्का केसरखेड़ी तहसील कपासन के हल्के बैरुनी के खाता संख्या 72 के हाल आराजी नम्बर 1348/318, 319 कुल किता 02 कुल रकबा 1.53 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 17.04.2026 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

1. शोकिन पुत्र मितु 1/2 शान्ताबाई पत्नि मितु 1/2 जाट सा देह खातेदार रहन युनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कपासन

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1348/318/1	0.0650	बारानी 2
2	319/1	0.7000	बारानी 2
3	345/1	0.1850	बारानी 1
4	365/1	0.0450	बी.1
5	368/1	0.1050	बारानी 2

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

6	369 / 1	0.1350 0.0500	वारानी 2 बी.1
7	427 / 1	0.2400	चाही 3
8	432 / 1	0.1300	चाही 4
9	801 / 1	0.1250	चाही 1
10	911 / 1	0.0200	चाही 2
योग	कुल किता-10	1.80	

2. गेहरूलाल पिता हीरा 1/3 चम्पालाल पुत्र हीरा 1/3 घीसीयाई पुत्री हीरा 1/3 जाट सा. देह खातेदार बड़ौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1348 / 318 / 2	0.0650	वारानी 2
2	319 / 2	0.7000	वारानी 2
3	345 / 2	0.1850	वारानी 1
4	365 / 2	0.0450	बी.1
5	368 / 2	0.1050	वारानी 2
6	369 / 2	0.1350 0.0500	वारानी 2 बी.1
7	427 / 2	0.2400	चाही 3
8	432 / 2	0.1300	चाही 4
9	801 / 2	0.1250	चाही 1
10	911 / 2	0.0200	चाही 2
योग	कुल किता-10	1.80	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 27.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक क्लर्क, कपासन

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-	प्लीडर की फीस	-
4. रूपये पर प्लीडर की फीस	-	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-	आदेशिका की तामिल	-
6. कमिश्नर की फीस	-	कमिश्नर की फीस	-
7. आदेशिका की तामिल	-		-
जोड	-	जोड	-